

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— मु030(मो)– 551 / 02 / राँची, दिनांक
प्रेषक,

संयुक्त सचिव (अधिग्रंथ)

जल संसाधन विभाग,

झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

मुख्य अभियंता

रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान

जगरनाथ हाई रकूल, धुर्वा

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय :— अनुसूचित दर निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहित-2012 की कंडिका-103 में पथ निर्माण विभाग के संयोजन में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुसूचित दरों के निर्धारण का प्रावधान है। संहिता दिनांक— 05.06.2012 को अधिसूचित है। राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति गठित है। यह पथ निर्माण विभाग के पत्रांक— 6096 (S) दिनांक— 28.08.2012 द्वारा निर्गत है।

अनुसूचित दर निर्धारण की नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कार्य विभाग के द्वारा अपने कार्य विभाग के लिए अनुसूचित दर पुस्तिका राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित की जायेगी। इस निमित्त प्रत्येक कार्य विभाग में एक dedicated SOR Cell का गठन किया जाना है।

निदेशानुसार जल संसाधन विभाग अन्तर्गत मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के अधीन SOR Cell गठित किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नवत् है :—

1. अधीक्षण अभियंता
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं0-1, राँची — अध्यक्ष
2. कार्यपालक अभियंता
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं0-1, राँची — सदस्य
3. कार्यपालक अभियंता
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं0-2, राँची — सदस्य
4. कार्यपालक अभियंता
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं0-3, राँची — सदस्य
5. सहायक अभियंता (सम्प्रति श्री अरुण कुमार राय)
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं0-1, राँची — सदस्य
6. सहायक अभियंता (सम्प्रति श्री विश्वनाथ प्रसाद ताँती)
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं0-1, राँची — सदस्य

7. सहायक अभियंता (सम्प्रति श्री हेमन्त कुमार भक्त)
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं0-1, राँची — सदस्य
8. सहायक अभियंता (सम्प्रति श्री श्याम नाथ दुबे)
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं0-1, राँची — सदस्य
9. सहायक अभियंता (सम्प्रति श्री लक्ष्मी नारायण लाल)
समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं0-1, राँची — सदस्य

उपर्युक्त SOR Cell द्वारा अनुसूचित दर निर्धारण सम्बन्धित सभी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

विश्वासभाजन

EOI
(एस० के० सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिभ०)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :— मु0अ0(मो0)— 551 / 02 / राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के सचिव/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग /सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग /सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

EOI
(एस० के० सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिभ०)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :— मु0अ0(मो0)— 551 / 02 / राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :— सभी सम्बन्धित पदाधिकारीगण, Dedicated SOR Cell, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

EOI
(एस० के० सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिभ०)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :— मु0अ0(मो0)— 551 / 02 / राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :— वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि इसे जल संसाधन विभाग के वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

EOI 26.3.13
(एस० के० सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिभ०)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।